सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

दिनांक– 28–03–2026

पत्रांक–1766/ कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026,

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **प्रचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– **नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23–12–2025 के कार्यवृत्त दिनांक 21–01–2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास / 3223 / 2025–26 दिनांक 26–03–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन द्वारा नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिंनाक 23–12–2025 के कार्यवृत्त दिनांक 21–01–2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में है। (पत्र संलग्न)

अतः उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

28/03/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– /तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

ई – मेल

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांकः- डिग्री विकास/ 3223 /2025 – 26 दिनांक – 26 / 03 /2026

विषय – नार्को को – आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23.12.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 21.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 322/सत्तर – 3 – 2026 – 1881827 दिनांक 25 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो नार्को को – आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23.12.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 21.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासन की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में संलग्न कार्यवृत्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

26/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 3223 – 25 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र के क्रम में संलग्न कार्यवृत्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

26/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

O/C

संख्या- 322 /सत्तर-3-2026- 1881827

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 25 मार्च, 2026

विषय:- नार्को को-आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23.12.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 21-01-2026 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- संख्याःडीजी-सात-एन्कार्ड बैठक (राज्य स्त०) 2023/8(5), दिनांक 21.01.2026 जो नार्को को-आर्डिनेशन सेन्टर (NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23.12.2025 के कार्यवृत्त है की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या **निदेशक , उच्च शिक्षा उ0प्र0 ,प्रयागराज के माध्यम से** antf की ई मेल आई0डी0 ig-antf.lu@up.gov.in एवं शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 25-03-2026
..:30:07

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

फुलि - (15)

सं0-322 /सत्तर–3–2026

अनुस्मारक-I

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

प्रथम तल टावर-03, पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्र संख्याः DG-VII- ANTF (एनकॉर्ड मीटिंग)2022/08(5) दिनांक-फरवरी 11, 2026

5852/VIPPSHED/2026 11-2-26 NR104

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए, उत्तर प्रदेश।

3- अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।

4- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

10-परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज (UPSACS), उत्तर प्रदेश।

2992/S(AT)/26 U.S.

11-प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

12-आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

13-ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश। 11-02-26

14-अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उत्तर प्रदेश।

15-चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश।

16-संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17-ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।

18-ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।

19-उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उत्तर प्रदेश।

20-डीआईजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश।

21-स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उत्तर प्रदेश।

22-क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, महानगर, लखनऊ

23-क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, धर्मशाला बाजार,गोरखपुर।

24-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।

25-क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, दिल्ली।

26-क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, देहरादून।

सचिव 11/02/26 (एम० पी० अग्रवाल) प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश

विषयः दिनांक-23.12.2025 को आहूत NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक-21.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से NCORD "राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की

नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2025 की द्वितीय बैठक दिनांक 23.12.2025 का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :

1. डॉ0 पिंकी जोएल, सचिव, स्वास्थ्य एवं एमडी एनएचएम उ0प्र0 शासन।
2. सुश्री सेल्वाकुमारी जे, सचिव/महानिदेशक तकनीकी शिक्षा।
3. श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय, सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
5. श्री मोहित गुप्ता, सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
6. डॉ0 आदर्श सिंह, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
7. श्री सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
9. सुश्री रेखा एस0 चौहान, विशेष सचिव, एफ0एस0डी0ए0, उ0प्र0।
10. श्री विनय कुमार सिंह, विशेष सचिव वन एवं पर्यावरण उ0प्र0 शासन।
11. डॉ0 पंकज त्रिपाठी, निदेशक कृषि।
12. डॉ0 अमित भारद्वाज, निदेशक, उच्च शिक्षा।
13. अदिति शर्मा, मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय, वन विभाग।
14. डॉ0 रूनझुन, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर डी0आर0आई0, लखनऊ।
15. श्री शशि मोहन गुप्ता, उपायुक्त एफ0एस0डी0ए0, उ0प्र0।
16. श्री देवांश शुक्ला, कमाण्डेंट आरपीएफ लखनऊ डिविजन।
17. श्री शैलेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0बी0 लखनऊ।
18. श्री अखिलेश कुमार जैन, असिस्टेंट कमाण्डेंट ड्रग एफ0एस0डी0ए0।
19. श्री निशान्त चौधरी, डी0सी0(इन्ट) एस0एस0बी0 मुख्यालय लखनऊ।
20. श्री शिवाजी सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, एस0आई0बी0 लखनऊ
21. श्री रावत अखिलेश कुमार, डी0सी0आई0ओ0,एस0आई0बी0, लखनऊ।
22. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह,डी0डी0सी0 बेसिक शिक्षा।
23. श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा, सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, सी0बी0एन0, लखनऊ।
24. श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्य निषेध अधिकारी उ0प्र0।
25. श्री राजेश कुमार यादव, पीएसीओ/आरओ, सीपीएमजी, यू0पी0 सर्किल, लखनऊ।
26. आभा रानी, वैज्ञानिक अधिकारी, एफ0एस0एल0, लखनऊ।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत कर पूर्व राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्देशों का विभागवार अनुपालन प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक 23.09.2025 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन :

i. निर्देशानुसार एनकार्ड जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर नियमित

रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2025 मे अब तक (30.11.2025 तक) गहे जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गयी हैं। कमिश्नरेट आगरा, जनपद रायबरेली, बलरामपुर व अमेठी द्वारा निर्धारित संख्या से काफी कम संख्या में बैठकें की गयी हैं। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करायी जाये एवं जिन जनपदों में कम बैठकें आयोजित की गयी है, उनको इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये जाये व प्रत्येक बुधवार मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में होने वाली वीडियो कांफेंसिंग बैठक में इसे प्राथमिकता बिन्दु में रखा जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF / जनपदीय पुलिस)

ii. पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में मादक पदार्थों की अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित कराने हेतु समस्त कमिश्नरेट व जनपदों को मादक पदार्थों के ट्रैफिकिंग हेतु हॉट–स्पॉट का चयन करते हुये उन पर समय–समय पर ऑपरेशनल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपदों द्वारा नियमित रूप से हॉट स्पॉट का चिन्हीकरण अद्यतन रखा जाये एवं उसकी संवेदनशीलता को कम करने के उपाय किये जायें।

(कार्यवाही– ANTF /समस्त पुलिस कमि0 / जनपदीय पुलिस)

iii. प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध कार्यवाही कर अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व बैठक के निर्णय के कम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि इस हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाता हैं। वर्ष 2025 में जनपदीय पुलिस द्वारा अब तक 47,253 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी है। एएनटीएफ द्वारा वर्ष 2025 में अब तक 12,722.92 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी है जिसका अनुमानित मूल्य 143 करोड़ 66 लाख 65 हजार रू0 है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अवैध मादक पदार्थों की अधिकाधिक बरामदगी सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF/NCB/ जनपदीय पुलिस)

iv. नशा–मुक्ति जागरूकता के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यकमों के अन्तर्गत साईकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, योगा व स्कूल के बच्चों के साथ पैदल रैली योगा कार्यकम, सिनेमाघरों, ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम व एफएम रेडियों चैनलों के माध्यम से नशे के विरूद्ध प्रचार–प्रसार कराया गया। नशे के विरूद्ध धर्माचार्यों के माध्यम से जन–जागरण हेतु प्रचार–प्रसार कराया गया। सिनेमा घरों में नशा–मुक्ति संदेश का प्रसारण व ट्रैफिक कण्ट्रोल रूम, रेडियो चैनलों द्वारा मादक पदार्थ के विरूद्ध प्रचार–प्रसार किया गया। दिनांक–23.11.2025 से 29.11.2025 के मध्य लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राण्उड में आयोजित भारत स्काउट एण्ड गाईड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में एएनटीएफ द्वारा स्टॉल लगाकर नशें के विरूद्ध व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा नशा मुक्त जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराये जाते रहें तथा सिनेमाघरों में स्क्रीन पर लघु फिल्मों के माध्यम से भी नियमित रूप से प्रचार–प्रसार कराया जाये ताकि समाज में नशे के विरूद्ध आमजन जागरूक रहें।

(कार्यवाही–गृह विभाग / समाज कल्याण / आबकारी / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / एनसीबी / ANTF/जनपदीय पुलिस)

v. अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रदेश के राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा चिन्हित उद्योग संस्थानों में स्थापित इंसीनरेटर के माध्यम से बरामद अवैध मादक पदार्थों का समय–समय पर नियमानुसार निस्तारण / डिस्पोजल कराया जाता है। एएनटीएफ के गठन के पश्चात वर्ष–2022 से अब तक(नवंबर–2025) कुल–2,67,234 किग्रा0 मादक पदार्थों का निस्तारण / डिस्पोजल कराया जा चुका है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 875 करोड रू0 है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निस्तारण / डिस्पोजल की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF / एनसीबी / जनपदीय पुलिस)

vi. पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की अधिकाधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के कम में एएनटीएफ द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत इस वर्ष–2025 में अब तक 15 अभियुक्तों के विरूद्ध निरोधादेश पारित कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत वर्ष–2025 में अब तक 28 प्रकरणों में लगभग 16.5 करोड़ रू0 की सम्पत्ति का जब्तीकरण कराया गया है। एएनटीएफ द्वारा 61 नारको अभियुक्तों के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खुलवायी गयी हैं।

प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट / जनपदों के पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा राजकीय रेलवे पुलिस के समस्त पुलिस अधीक्षकों को अपने–अपने कार्य क्षेत्र में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही व अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खुलवाने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ में सम्पत्ति जब्तीकरण कराने हेतु पत्राचार किया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पिट एनडीपीएस एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत अधिकाधिक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF / जनपदीय पुलिस)

vii. एएनटीएफ के 06 थानों (गाजीपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, मेरठ सहारनपुर, झाँसी)हेतु विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि गृह विभाग के स्तर से प्रकरण का अनुश्रवण कराते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्रथामिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF)

viii. एनकॉर्ड के अन्तर्गत ए0एन0टी0एफ0, एन0सी0बी0, सी0बी0एन0, राज्य कर विभाग(GST) आदि एजेन्सियों के मध्य समन्वय व सहयोग के माध्यम से प्री–कर्सर रसायन एवं कन्ट्रोल्ड सबसटेंस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये

जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में प्रमुख सचिव, राज्यकर विभाग(GST) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किये जाने एवं ए०एन०टी०एफ० प्रमुख को समायोजक व एन०सी०बी०, सी०बी०एन० व एफ०एस०डी०ए० के अधिकारियों को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक–19.12.2025 के माध्यम से शासन से अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि गृह विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–गृह विभाग)

ix. समाज कल्याण विभाग द्वारा नियमित रूप से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाये जाने के पूर्व बैठक के निर्णय के कम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि नशे के दुष्परिणामों से जन जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर वालपेन्टिग, होर्डिंग्स की स्थापना, प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया व आकाशवाणी पर संदेश, मोबाईल एसएमएस प्रचार–प्रसार, रैलियां/गोष्ठियां व सांस्कृतिक कार्यकमों के माध्यमों से नशे के विरूद्ध जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा मुख्यतः नशे के विरूद्ध प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम चलाये जाते है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से जन–जागरूकता कार्यक्रमों के साथ–साथ विभिन्न एनजीओ द्वारा संचालित डी–एडिक्शन केन्द्रों की नियमित समीक्षा समाज कल्याण विभाग व गृह विभाग द्वारा की जाये एवं पायी गयी कमियों में आवश्यक सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग/गृह विभाग)

x. नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित कराने व सिनेमाघरों में स्कीन पर लघु फिल्मों के माध्यम से नियमित प्रचार–प्रसार कराने तथा भांग की लाइसेंसी दुकानों की आवश्यकता कर आकलन कर उन्हें सीमित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के कम में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उप आबकारी आयुक्त, प्रशासन के पत्र दिनांक–12.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि आबकारी विभाग, उ०प्र० द्वारा नशा मुक्ति अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग,बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, के आपसी सहयोग एवं सहभागिता से प्रदेश के जनपदों में ई–प्रतिज्ञा, नुक्कड़ सभा/नाटक, गोष्ठी व जन जागरूकता रैली आदि कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 2025 में 5,733 कार्यक्रम आयोजित कराते हुये 7,23,420 व्यक्तियों को उक्त कार्यक्रम में शपथ दिलायी गयी।

आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि भांग की लाइसेंस की दुकानों पर अवैध रूप से गांजा इत्यादि मादक पदार्थ बेचे जाने की निरन्तर निगरानी की जाती है तथा उपभोग एवं आवश्यकता के दृष्टिगत भांग की दुकानों का लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित कराये जाये एवं प्रदेश में भांग की लाइसेंसी दुकानों के सम्बन्ध में समीक्षा कर ली जाये तथा इन दुकानों की संख्या को वहाँ की क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन कर सीमित किया जाये।

(कार्यवाही–आबकारी विभाग)

xi. जोनल डायरेक्टर एनसीबी द्वारा बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित भारी संख्या मे लम्बित केसों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय गठित/नामित किये जाने की आवश्यकता है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों की सुनवाई हेतु प्रदेश के 8 जोनल पुलिस मुख्यालयों (मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी) में सम्बन्धित जोन के जनपदों में लम्बित मुकदमों की सुनवाई हेतु 8 न्यायालय तथा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मुकदमों की सुनवाई हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर(नोएडा) में 01 न्यायालय, कुल–09 विशेष न्यायालय गठित/नामित किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/एन0सी0बी0)

xii. जोनल डायरेक्टर एनसीबी द्वारा बताया गया कि सीबीएन, डीआरआई, एएनटीएफ, समाज कल्याण, आबकारी, एफएसडीए आदि विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय हेतु एक डैशबोर्ड की संरचना किये जाने की आवश्यकता है। चूँकि केन्द्रीय स्तर पर एनसीबी अवैध मादक पदार्थों के प्रवर्तन हेतु नोडल एजेन्सी है तथा सीबीएन, डीआरआई आदि भारत सरकार के अन्य विभागों से भी समन्वय की आवश्यकता होगी, अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एनसीबी द्वारा उपरोक्त विभागों से अपेक्षित सहयोग व समन्वय स्थापित कर अपेक्षित डैशबोर्ड तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। गृह विभाग इस हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर एनसीबी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करे।

(कार्यवाही–NCB/CBN/DRI/गृहविभाग/FSDA/समाजकल्याण/आबकारी ANTF)

xiii. कोडीन युक्त कफ–सीरप की सप्लाई/ब्रिकी की Tracking के सम्बन्ध में एफ0एस0डी0ए0 द्वारा निगरानी सिस्टम बनाये जाने व नियमित रूप से सतर्क दृष्टि रखते हुये उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी पूर्व बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में अध्यक्ष महोदय को अगवत कराया गया कि एफएसडीए द्वारा अपने पत्र दिनांक–17.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 2 सहायक आयुक्त (औषधि) व 2 औषधि निरीक्षकों की निगरानी समिति बनायी गयी है। माह अक्टूबर 2025 तक 11 प्रकरणों में 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुये 3.39 करोड़ रू0 मूल्य की औषधि सीज की गयी है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आफलाइन व्यवस्था के स्थान पर कोडीन कफ सीरप की सप्लाई/बिकी की ट्रैकिंग हेतु आनलाइन व्यवस्था तैयार की जाये साथ ही साथ थोक विकेता व वितरकों को लाइसेंस देने से पूर्व उनके पास स्टॉक को रखने का पर्याप्त स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं, इसका भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/एफ0एस0डी0ए0)

xiv. शिक्षा विभाग द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाये जाने एवं बेसिक शिक्षा पाठ्यकम में नशें के दुष्प्रभाव सम्बन्धी अध्याय को शामिल किये जाने सम्बन्धी पूर्व बैठक के निर्णय के कम में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के पत्र दिनांक–16.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ससमय निर्णय लिया जायेगा। नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यकम चलाये जाते है।

कॉलेज/हॉस्टल में नशा विरोधी पोस्टर व छात्र–छात्राओं को नशे के विरूद्ध जागरूक तथा शपथ कार्यक्रम भी किये गये है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नशें के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाये जाये तथा माध्यमिक, हॉयर सेकेण्डरी (कक्षा–8 से 12) पाठ्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में एक अध्याय शामिल किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग)

xv. कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर अफीम की फसल का भौतिक सत्यापन कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश के क्रम में सीबीएन के पत्र दिनांक–19.12.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में जिन किसानों को फसल वर्ष–2025–26 हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है इनकी पैमाईश एवं जॉच पैमाईश अगले माह प्रस्तावित है तथा इनका जीपीएस लोकेशन के माध्यम से सत्यापन की कार्यवाही भी की जायेगी। सीबीएन द्वारा बताया गया कि इसकी 100 प्रतिशत सत्यापन व पैमाईश की जाती है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सीबीएन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथासंभव जनपदीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये संयुक्त रूप से अफीम फसल की खेती का भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाए।

(कार्यवाही–कृषि विभाग/सीबीएन/सम्बन्धित जनपदीय प्रशासन)

xvi. नशा मुक्ति भारत अभियान (NMBA) के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। इस हेतु 2 समितियों का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 माह में होती है तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.11.2025, 01.10.2025 व 24.09.2025 के अनुपालन के क्रम में समस्त पुलिस कमिश्नरेट एवं जनपदों को NMBA के तहत अपने अधिकारिता क्षेत्र में नशे के विरूद्ध जन जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु पत्राचार किया गया है। बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि NMBA के तहत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित कराते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग/गृह विभाग/ANTF/जनपदीय प्रशासन)

xvii. नशा मुक्ति केन्द्रों की समीक्षा के अन्तर्गत सहारनपुर परिक्षेत्र पुलिस द्वारा ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय सहारनपुर में स्थापित राजकीय नशा मुक्ति केन्द्र, जिसे NDDTC, AIIMS नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, पर उपचारित तथा उपचाराधीन पीडितों के डाटा का विश्लेषण किया गया। समीक्षा/विश्लेषण से पाया गया कि दिनांक 07.12.2021 से 13.03.2023 के मध्य 538 पीड़ित भर्ती हुये तथा 4394 पीड़ितों का ओपीडी में उपचार किया गया जिनमें 70 प्रतिशत लोग opioids, 15 प्रतिशत alcohol, 5 प्रतिशत canabis, 5 प्रतिशत sedative, 5 प्रतिशत inhalant के आदी पाये गये।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समीक्षा के आलोक में प्रदेश में प्रचलित डी–एडिक्शन केन्द्रों की नियमित समीक्षा समाज कल्याण विभाग व गृह विभाग

द्वारा की जाये एवं पायी गयी कमियों में आवश्यक सुधार हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण विभाग / गृह विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

21/01/26

(अब्दुल हमीद)
पुलिस महानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,

प्रथम तल(टावर–3), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023 / 8(5)   दिनांकःजनवरी , 2026

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0
6. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
7. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
15. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
16. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
17. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उ0प्र0।
18. स्टेट ड्रग कंट्रोलर / फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
19. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।
20. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी / एसएसबी, लखनऊ।
21. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
22. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
23. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
24. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
25. परियोजना निदेशक, यू0पी0एस0ए0सी0एस0।
26. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, गोरखपुर।